न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी – पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 98/2025 अपील
जीसीएमएस नं0 2025/169

1. बालकिशन पुत्र नाथू
   1/1 आदित्य राठौर पुत्र कौशल राठोर
   1/2 प्रमोद राठोर पुत्र कौशल राठोर
   जाति तैली निवासीगण ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. कौशल पुत्र बालकिशन जाति तेली निवासी ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–अपीलांट

बनाम

अनोख बाई पत्नी बिरधीलाल जाति मेहर निवासी ग्राम कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी निर्णय दिनांक 28.08.2025 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा अन्तर्गत

उपस्थितः–

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामरतन मीणा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक–19.05.2026

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0ए0 में ग्राम गलाना स्थित अपनी आराजी खसरा नम्बर 525 रकबा 3.29 हे0 पर आने जाने का रास्ता खसरा नं0 523 व 524/815 की मेड़ पर से था जिसे अप्रार्थीगण ने बन्द कर दिया जाने से रास्ते को खुलासा कराने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.08.2025 से प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया है कि–" अप्रार्थीगण खसरा संख्या 523 के खातेदार आदित्य राठौर व प्रमोद राठौर आत्मज कौशल राठौर निवासी ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा कोटा व खसरा संख्या 524/815 के खातेदार कन्हैयालाल पुत्र बिरधीलाल, कस्तूरीबाई पत्नी स्व0 बिरधीलाल, कोशल्या पुत्र बिरधीलाल, शान्ति बाई पत्नी स्व0 बिरधीलाल, सत्यनारायण पुत्र बिरधीलाल, सुमित्रा पुत्री बिरधीलाल सोभागचन्द पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी सा0 देह खसरा संख्या 523 व 524/815 की मेड से परम्परागत रास्ते को यथाशीघ्र अवरोध रहित करें । प्रार्थीया के खाते की भूमि खसरा संख्या 525 पर इस मेड से आने जाने के लिए कोई रूकावट / मजाहमात भविष्य में पैदा नहीं करें । भू–अभिलेखेख निरीक्षक व पटवारी हल्का संबंधितों को पाबंद करें । दौराने परम्परागत रास्ता खुलासा किसी प्रकार की शांतिभंग नहीं हो इसलिए थानाधिकारी कैथून को आदेशित किया जाता है कि मय जाप्ता मौके पर उपस्थित रहें ।
2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के उक्त आदेश दिनांक 28.08.2025 की अप्रसन्नता में अप्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.10.2025 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामरतन मीणा का वकालतनामा पेश हुआ । उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 525 पर आने जाने के लिए सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 528 से लगवा खसरा नम्बर 526 व 527 के मध्य से है जिसे रेस्पोडेन्ट व उसके पिता कदीमी समय से काश्त हेतु उपयोग करते चले आ रहे है जिनके द्वारा अपीलान्ट की भूमि में से होकर न तो कभी रास्ते के रूप में काम में लिया और न ही आम रास्ता है, उक्त तथ्य प्राप्त की गयी रिपोर्ट से प्रमाणित है । उक्त रिपोर्ट मे भी रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 525 के आने जाने का रास्ता 528 जो गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है से उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 529 व खसरा नम्बर 916/527 की मेड से खसरा नम्बर 521 व 916/527 की मेड से होते हुए रेस्पोडेन्ट अपनी आराजी में आते जाते है । इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की आराजी में से रास्ता होना बता दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट द्वारा अपनी आराजी के संबंध में रेस्पोडेन्ट के विरूद्व वाद प्रस्तुत कर रखा है । उक्त प्रकरण वर्तमान में जेरकार है जिसके प्रभावी रहते योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । खसरा नम्बर 524/815 के खातेदार कन्हैयालाल पुत्र विरधीलाल, कस्तूरी बाई पत्नी विरधीलाल, कौशल्या पुत्र विरधीलाल, शान्तिबाई पत्नी विरिधीलाल, सत्यनारायण पुत्र विरधीलाल, जाति माली को पक्षकार बनाये बिना ही रास्ते का आदेश प्रदान कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्य का कोई अवलोकन नहीं किया ओर न ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया, साथ ही गवाहों से जिरह करने का अवसर प्रदान नहीं किया । इसके विपरीत योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश प्रदान कर दिया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 28.8.2025 सव्यय खारिज फरमाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा के खसरा संख्या 525 रकबा 3.29 हे0 प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है, जिस पर परम्परागत रूप से खसरा संख्या 523 व 524/815 की मेड के रास्ते को बालकिशन द्वारा बंद कर दिया है, जबकि उक्त रास्ते का प्रयोग प्रार्थीया के पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, उक्त मेड पर पत्थरकोट कर दिया गया है जिसे प्रार्थीया की जोत पर पहुंच बंद हो गई है । प्रार्थीया का खेत पडत रहने की संभावना है । इसी आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड एवं मौका स्थिति तथा गवाहों के बयानात के आधार पर प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 525 पर पहुंच के लिए परम्परागत रूप से खसरा संख्या 523 व 524/815 की मेड से मानते हुए बंद रास्ते को खुलासा कराने के अपीलाधीन आदेश पारित किये है । उक्त रास्ता परम्परागत रूप से कई पीडियों से चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होने से प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2025 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 16.10.2025 को पेश की गई है । जो निर्धारित मियाद 30 दिवस के बाद पेश की है किन्तु धारा 5 के प्रार्थना पत्र में बताये गये कारणों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक 0610.2025 होने से तथा रेस्पोडेन्ट ने भी धारा 5 का जवाब प्रस्तुत नहीं किया ओर मियाद के सम्बन्ध में कोई खण्डन नहीं किया जाने से अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित पाते है, लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

7. प्रस्तुत अपील में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत तर्को से निम्न तथ्य प्रट है –

- रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 525 पर आने जाने के लिए सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 528 से लगवा खसरा नम्बर 526 व 527 के मध्य से बताया है जिसे रेस्पोडेन्ट व उसके पिता कदीमी समय से काश्त हेतु उपयोग करते चले आना अपीलांट ने बताया है तथा अपीलान्ट की भूमि में से होकर न तो कभी रास्ते के रूप में काम में लिया और न ही आम रास्ता है, उक्त तथ्य प्राप्त की गयी रिपोर्ट से प्रमाणित होने का तथ्य प्रकट किया है । इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलांट अपनी आराजी खसरा नम्बर 525 पर खसरा नम्बर 523 व 524/815 की मेड पर से होकर आते जाते रहे है, जिसे अप्रार्थी अपीलांट द्वारा बन्द कर दिया जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता खुलासा कराने के आदेश पारित किये है । हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिस अनुसार मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक कैथून की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.07.2021 अनुसार "मौके पर एवं राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 523 एवं 524/815 की मेड पर रास्ता नहीं है 523 के दक्षिण पूर्व कोने पर लगभग 8 मीटर लम्बा पत्थर कोट हो रहा है । वादी जहां से पूर्व में आता था एवं वर्तमान में जहां से आना बता रहा है दोनों तरफ की भूमियां खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमियां खातेदारी में होने से वादी को सक्षम न्यायालय में नियमानुसार रास्ता प्राप्त करने हेतु समझाया गया । इस सम्बन्ध में हमारा मत है कि प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट को आने जाने का अन्य रास्ता नहीं होने से प्रार्थीया के सुखाचार को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक रास्ते को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा खोलने के आदेश दिये है । **किन्तु प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में खसरा नम्बर 524/815 के खातेदार कन्हैयालाल पुत्र बिरधीलाल, कस्तूरी बाई पत्नी बिरधीलाल, कौशल्या पुत्र बिरधीलाल, शान्तिबाई पत्नी बिरधीलाल, सत्यनारायण पुत्र बिरधीलाल, जाति माली को पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते का आदेश प्रदान कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है । पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि वास्तव में जिन खसरा नम्बर 523 व 524/815 की मेड पर से रास्ता दिया गया है उसमें खसरा नम्बर 523 अपीलांट के है, तथा खसरा नम्बर 524/815 के खातेदार कन्हैयालाल पुत्र बिरधीलाल, कस्तूरी बाई पत्नी बिरधीलाल, कोशल्या पुत्री बिरधीलाल, शान्ति बाई पत्नी बिरधीलाल, सत्यनारायण पुत्र बिरधीलाल है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा में पक्षकार नहीं बनाया गया है और बिना खातेदार को सुने, रास्ता खुलासा कराने का आदेश पारित किया है जो न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है । सम्बन्धित खातेदार को सुनकर ही आदेश पारित किया जाना चाहिए जिसका अभाव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में पाया गया है ।**

8. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि खसरा नम्बर 524/518 के खातेदारों को सुने बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 523 व 524/518 की मेड पर से होकर खसरा नम्बर 525 पर आने जाने का रास्ता दिया गया है, जो विधिक रूप से उचित नहीं है, खातेदारान को सुना जाना आवश्यक होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2025 अपास्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को सभी प्रभावित खातेदारान को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है किन्तु तब तक खसरा नम्बर 523 व 524/518 की मेड पर से होकर खसरा नम्बर 525 पर आने जाने के वैकल्पिक रास्ते को अवरूद्व नहीं करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा